न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 209/**15 (वाद)**

अनवान

1. श्रीमती बाबरीबाई पिता डालु पत्नी जीतु कीर निवासी कीरो की भागल तह. वल्लभनगर।

.....वादीयां

बनाम्

1. श्री विजयसिंह पिता प्रेमसिंह बडगुर्जर निवासी एम.पी.कॉलोनी, सेक्टर न. 13 उदयपुर।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

3. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता वादीयां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 18.12.19

1. वाद वादीयां द्वारा अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ वादीयां का खानदान का सजरा निम्न प्रकार है :–

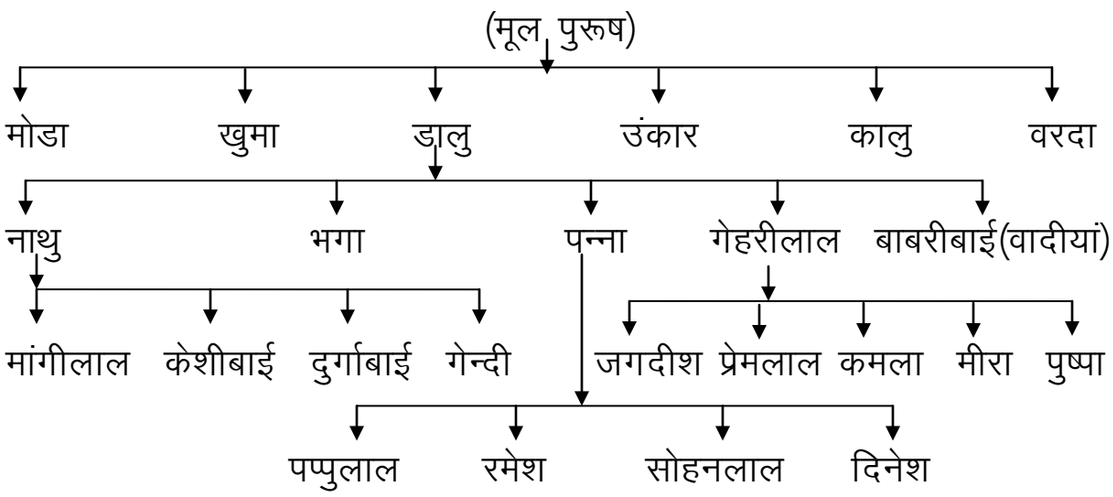

2. यह कि मौजा डबोक में आराजी नम्बर 842, 843, 844, 845, 1357, 1358, 1368, 1369, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 1356 कुल किता 13 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा पूर्व में मोडा, खुमा, डालु, उंकार, कालु, वरदा पिता लखा कीर सा. देह खातेदार हि.ब. दर्ज थी। उक्त आराजीयात का आपसी बंटवाडा मोडा खुमा डालु उंकार कालु वरदा के बीच में होकर आराजी नम्बर 845 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, 850 रकबा 15 बिस्वा, 851 रकबा 15 बिस्वा डालु जी के हिस्सें पांती में रही और डालु जी के नाम राजस्व रेकार्ड में भी दर्ज हुई। डालु जी का स्वर्गवास हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बाद हुआ इसलिए डालु के मरने के बाद उक्त आराजीयात डालु के लडके नाथु, पन्ना, भगा, गेहरीलाल पिता डालु के नाम पर ही दर्ज हो गई जबकि कानुनन डालु की जमीन उक्त चारो भाईयों के साथ–साथ मैं वादीयां डालु की लडकी होने से पांचों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन मुझ वादीयां के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज नहीं हुई। उक्त तीनों आराजीयात पर 1/5 हिस्सा मेरा है और उसके अनुसार ही हमारा संयुक्त स्वामित्व व कब्जा चला आ रहा हैं। इसलिए मैं वादीयां उक्त तीनों आराजीयात में 1/5 हिस्से की खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी हुं।

3. मुझ वादीयां के चारो भाई नाथु, भगा, पन्ना, गेहरीलाल का स्वर्गवास हो चुका हैं। नाथु के वारिस मांगीलाल पुत्र, केशीबाई दुर्गाबाई पुत्रीयां, गेन्दीबाई उसकी पत्नी हैं। पन्ना के वारिसान पप्पुलाल, रमेश, सोहनलाल, दिनेश तथा गेहरीलाल के वारिसान प्रेमलाल, जगदीश, कमला, मीरा, पुष्पा हुऐ इन वारिसान तथा भगा ने मिलकर के उक्त जमीन को विजयसिंह पिता प्रेमसिंह प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय कर दी उस वजह से वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में आराजी नम्बर 845, 850 एवं 851 दीगर आराजीयात के साथ प्रतिवादी के नाम पर दर्ज हो गई है जबकि मुझ वादीयां ने अपना 1/5 हिस्सा प्रतिवादी को नहीं बेचा है इसलिए मैं वादीयां उक्त आराजी नम्बर 850, 845 एवं 851 जो पुरी प्रतिवादी के नाम पर गलत रूप से दर्ज कर दी गई है उसमें से 1/5 हिस्सा को मैं वादीयां अपनी खातेदारी में घोषित कराने की अधिकारी हुं तथा प्रतिवादी के पक्ष में नाथु, पन्ना, गेहरीलाल के वारिसान तथा भगा ने जो विक्रय पत्र किया है वह विक्रय पत्र मुझ वादीयां के मुकाबले बेअसर व वोईड है। मुझ वादीयां के 1/5 हिस्से को बेचने का इनको कोई कानुनी अधिकार नहीं था इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को मेरा 1/5 हिस्सा

बेचान नहीं माना जावेगा। मैं वादीयां उक्त अपने 1/5 हिस्से पर काबिज होकर स्वामी हुं।

4. यह कि चूंकि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में उक्त तीनों आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर पुरी दर्ज हो गई हैं। वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ गये हैं इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 ने मुझ वादीयां को अपने 1/5 हिस्से को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया है तथा ऐलानिया धमकी दे रहा है कि कुलिया जमीन मेरे खाते में है इसलिए मैं अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दुंगा जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 को मुझ वादीयां के 1/5 हिस्से को बेचने का अधिकार नहीं है इसलिए मैं वादीयां प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी हुं कि प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादीयां को खेती करने में कोई रूकावट पैदा नहीं करे, बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादीयां के हिस्से में किसी नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिवादी सं. 1 मुझ वादीयां के हिस्से को बैह बक्षीस ट्रान्सफर नहीं करे तथा प्रतिवादी सं. 2, 3 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। मुझ वादीयां का प्राइमाफैसी केस है तथा सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी मुझ वादीयां के पक्ष में हैं।
5. यह कि बिनाय मुखास्मत वाद दिनांक 31.08.2015 उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नम्बर 1 ने मुझ वादीयां के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा की तथा मेरे हिस्से को भी बेचने की धमकी दी तब उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व इस अमर की डिक्री फरमाई जावे कि मौजा डबोक की आराजी नम्बर 845, 850, 851 किता 3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा में मुझ वादीयां को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 को जो वर्तमान में सम्पूर्ण हिस्सा है उसके 4/5 हिस्सा कराये जावे उसी अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे। मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीयां को उसके हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादीयां के 1/5 हिस्से को बैह बक्षीस द्वारा मुन्तकील नहीं करें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

7. वादीयां द्वारा वाद पत्र के साथ दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 प्रदर्श 1, मौजा डबोक जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 प्रदर्श 2 व 3, मौजा डबोक जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 प्रदर्श 4, मिलान खसरा प्रदर्श 5 से 7, पेश की गई है।
8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 2 व 3 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादीयां प्रारम्भ की गई।
9. प्रकरण में साक्ष्य वादीयां पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती बाबरीबाई, पी.डब्ल्यू–2 श्री गेहरीलाल का शपथ प्रस्तुत किया।
10. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीयां की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीयां द्वारा यह वाद घोषणा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीयां द्वारा वादग्रस्त भूमि को मूल पुरूष लखा के समय की होना बताया हैं। वादीयां मूल पुरूष लखा के वारिस डालु की पुत्री हैं। वादीयां द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित भूमि जो कि वादीयां के पिता डालु के नाम पर दर्ज थी जो कि दस्तावेज प्रदर्श 5 से 7 से स्पष्ट हैं। भूमि लखा के नाम दर्ज हो इसका कोई दस्तावेज वादीयां द्वारा प्रस्तुत नहीं किया हैं। वाद पत्र के अवलोकन से वादीयां अपने आप को डालु की पुत्री होना बताया है। वादीयां द्वारा केवल मात्र कथन के आधार पर ही वाद पत्र में अपने आप को डालु की पुत्री बताया हैं। वादीयां द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई प्रमाणित सजरा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की डालु जी के कितने विधिक वारिस हैं एवं वादीयां डालु जी की पुत्री हैं। उक्त कथन केवल दस्तावेजों के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। वादीयां के अलावा डालु जी के अन्य कोई विधिक वारिस होने का कथन भी दस्तावेज/प्रमाणित सजरे के आधार पर ही तय किया जा सकता हैं। वादीयां द्वारा अपना वाद केवल वर्तमान खातेदार के विरूद्ध लगाया गया हैं जबकि वादीयां को डालु जी के सभी

वारिसों को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। क्योंकि डालु जी की भूमि उनके वारिसों के नाम दर्ज हुई हैं। जिसका तथ्य सभी विधिक वारिसों को सुनने के बाद ही स्पष्ट हो सकता हैं। वादीयां द्वारा यह वाद केवल मात्र क्रेता के विरूद्व लगाया गया हैं जबकि पैतृक भूमि में घोषणा की दाद हेतु वाद में सभी आवश्यक पक्षकारों का होना आवश्यक हैं। वादीयां स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में नही आई हैं। जब वादीयां का विधिक वारिस होने का तथ्य ही स्पष्ट नहीं हो सकता है तो वादीयां को खातेदारी घोषणा की दाद दिया जाना इस स्तर पर सम्भव नहीं हैं। वादीयां द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किये है वह वादीयां के हक की घोषणा कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वादीयां दस्तावेजो के आधार पर वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीयां का वाद स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती बाबरीबाई पिता डालु पत्नी जीतु कीर निवासी कीरो की भागल तह. वल्लभनगर।

.....**वादीयां**

बनाम्

1. श्री विजयसिंह पिता प्रेमसिंह बडगुर्जर निवासी एम.पी.कॉलोनी, सेक्टर न. 13 उदयपुर।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।

3. पटवारी, पटवार हल्का डबोक तह. मावली।

.....**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 209/15 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.12.2019 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.09 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: